राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 520/2009/टोंक

मैसर्स श्री कन्हैया एग्रो प्रोडक्टस्,
मालपुरा, टोंक।

.....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, टोंक।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री जे.एन.शर्मा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उपराजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 04/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 20/आरएसटी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, टोंक (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2008 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29(8) के तहत् आरोपित कर राशि रूपये 19,900/–, ब्याज राशि रूपये 16,119/– एवं शास्ति राशि रूपये 500/– को यथावत् रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी बिक्री विवरण प्रपत्रों एवं लेखा पुस्तकों के आधार पर दिनांक 28.02.2006 को कर निर्धारण किया जाकर कुल मांग राशि रूपये 29,056/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.01.2007 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। इस प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में सशक्त अधिकारी ने पुनः दिनांक 19.03.2008 को आदेश पारित करते हुए कुल मांग राशि रूपये 36,519/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2009 के जरिये अपील को अस्वीकार करते हुए मांग राशि को यथावत् रखा। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना ही कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया, जो अविधिक है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2008 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, परन्तु तारिख पेशी पर उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया, जो कि पूर्णतः विधिक प्रतीत होता है। अतः अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से ये आदेश यथावत् रखे जाते है।

7. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 26.02.2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य